भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः †1833

उत्तर देने की तारीख 30 जुलाई, 2025 (बुधवार)

8 श्रावण, 1947 (शक)

प्रश्न

उत्तर-पूर्व में निवेश के लिए चिन्हित क्षेत्र

†1833. श्री सालेंग ए. संगमाः

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर-पूर्व शिखर सम्मेलन के दौरान निवेश और विकास के लिए चिन्हित प्रमुख क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और सरकार उत्तर-पूर्व के राज्यों में इसके कार्यान्वयन को किस प्रकार सुगम बनाने की योजना बना रही है;

(ख) क्या सरकार ने इन प्रस्तावों की प्रगति की निगरानी करने और समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यबल या समन्वय तंत्र गठित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि प्रस्तावित परियोजनाएं क्षेत्र की पारिस्थितिक संवेदनशीलता के अनुरूप हों और उत्तर-पूर्व के संवेदनशील पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न डालें; और

(घ) क्या सरकार क्षेत्र में समावेशी, सतत और पर्यावरणीय रूप से उत्तरदायी विकास सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों और निजी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) और (ख) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यापार और निवेश को उत्प्रेरित करने के लिए राइजिंग नॉर्थईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आयोजन किया। पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए शिखर सम्मेलन के चिन्हित फोकस क्षेत्र थे: पर्यटन और आतिथ्य; कृषि-खाद्य प्रसंस्करण और संबद्ध क्षेत्र; कपड़ा, हथकरघा और हस्तशिल्प; स्वास्थ्य देखभाल; शिक्षा और कौशल विकास; आईटी/आईटीईएस; मनोरंजन और खेल; अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स; और ऊर्जा। राज्य सरकारें इन

समझौता ज्ञापनों को मूर्त रूप देने के लिए सभी निवेशकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं। पूर्वोत्तर राज्य सरकारों द्वारा निवेश को सुगम बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के अलावा, सिंगल विंडो मंजूरी, निवेश प्रोत्साहन एजेंसी की स्थापना, भूमि बैंकों का निर्माण, निवेश के लिए प्रोत्साहन आदि शामिल हैं। सभी पूर्वोत्तर राज्यों ने समझौता ज्ञापनों को मूर्त रूप देने के लिए अपने-अपने राज्यों में एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया है। इसके अलावा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के साथ समीक्षा बैठकों के माध्यम से समझौता ज्ञापनों को मूर्त रूप देने की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारें पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील पूर्वोत्तर क्षेत्र में पारिस्थितिक सौम्यता को संरक्षित करते हुए आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए कम कार्बन छोड़ने वाली प्रौद्योगिकियों और पर्यावरणीय रूप से स्थायी प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा देती हैं। उन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है जिनसे खतरनाक प्रभाव नहीं उत्पन्न होते हैं और जिन्हें हरित उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिससे स्थानीय पर्यावरण पर न्यूनतम नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

*****